

4

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मध्य इन्डिपेंडेंट जज
मुकदमा नम्बर - 191/2014
उपस्थित
श्रीमती बिमला वर्गैरह बनाम जयशिव वर्गैरह

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी

4.12.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का न्यायालय
मत पर अवलोकन किया गया, पाया कि वादी द्वारा यह वाद
दिनांक 14.10.2014 विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, बंटवारा व
स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वादीगण को प्रतिवादीगण
की तलबी पेश करने हेतु न्यायहित में समुचित अवसर दिये जाने
के बाद भी पेश नहीं करना जाहिर है। इस प्रकार किसी भी
पक्षकार को न्यायालय के आदेश कि अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति
में वादी द्वारा आदेश की पालना में अवशेष प्रतिवादीगण की तलबी
पेश नहीं करने पर वाद वादी आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी.
प्रावधानों के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मुकदमा (सं.)